न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 117/2024 वरजू देवी वगैरह बनाम रमेश वगैरह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-1-26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम अन्तर्गत पेश किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नंबर 43/1 रकबा 2.0234 हेक्टयर एंव प्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 43/3 रकबा 2.0234 हेक्टयर वाके ग्राम सालावास तहसील लूणी में आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज है। अप्राथी संख्या 1 से 3 की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 43 रकबा 7.3653 हेक्टेयर एंव अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1085/43 रकबा 0.6196 हेक्टेयर व 1084/43 रकबा 0.9991 हेक्टेयर ग्राम सालावास की भूमि अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 43/1, खसरा नंबर 43/3, खसरा नंबर 43, खसरा नंबर 1085/43, खसरा नंबर 1084/43 ग्राम सालावास का सीमाज्ञान करवा कर प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के मध्यमाठ पर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.08.2024 को जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की और से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड़ा वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रालवी किया किया। शेष अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण वक्त खरीद से ही मौके पर अपनी मालिकाना हक, हदूद की कुल रकबा 10 बीघा भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज है जिसमें से रकबा 9991 वर्गमीटर को औधोगिक संपरिवर्तन भी मौके पर नाप चौक कर किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार लूणी को उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट/जवाब पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा अपने पत्र कमांक कोर्ट/2025/3142 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा जवाब/मौका जांच रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 43 की भूमि मौके पर 15 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि मौके पर ज्यादा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 43/1, 43/3 की भूमि मौके पर 01.10 बीघा भूमि कम है तथा खसरा नंबर 1753/1085, 1754/1085, 1084/43 की भूमि मौके पर 00.02 बीघा भूमि कम है। अप्रार्थी संख्या	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

4 से 6 की और से ख.न. 1753/1085, 1754/1085 व 1084/43 की कुल रकबा 10 बीघा एवं ख.न. 43 की कुल रकबा 45.10 बीघा भूमि पर जमाबंदी में दर्ज रकबा पूरा रखने के उपरान्त पत्थरगढ़ी की कार्यवाही हेतु सहमती दी है।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस सूनी एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु सहमति दी है। ऐसी स्थिति में कोई भी पत्थरगढ़ी की कार्यवाही राजस्व रैकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही की जानी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र धारा 111 एवं 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत ही पोषणीय होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सालावास पटवार मण्डल सालावास के खसरा नम्बर 43/1, 43/3, 43 1085/43 व 1084/43 कृषि भूमि की मौका फर्द दिनांक 10.10.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाकर पालना से न्यायालय को अवगत करवाएंगे। मौका रिपोर्ट दिनांक 10.10.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

हंसमुख कुमार आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी